

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICE'S EXAMINATION, 2014

The written result of the Special Class Railway Apprentices' (SCRA) Examination, 2014 has been declared by the Commission and the same is available on the Commission's website, <http://www.upsc.gov.in>. It is informed that all the written qualified candidates are required to fill up and submit the Detailed Application Form (DAF) **ONLINE** followed by sending of ink signed copy of the printout of DAF along with their photographs and all relevant documents to the Commission. The DAF shall be available on the Commission's website from 26.05.2014 to 10.06.2014 till 11.59 P.M. Important Instructions for filling up and submitting the ONLINE DAF are also available on the website along with the Rules of SCRA Examination, 2014. The last date for the receipt of printed copy of DAF (ink signed) along with relevant documents is 16.06.2014. In the event of non-receipt of ink signed copy of DAF, the candidature will be cancelled without any further notice. The candidates are also required to bring a printed copy of the DAF duly signed (by the candidate) along with original documents and a photocopy each thereof at the time of interview. The candidates must also check before hand their certificates in accordance with the **important instructions available** on the website of the Commission with regard to the certificates that are required to be produced at the time of Interview. The candidates will be solely responsible for not producing sufficient proof in support of his/her age, date of birth, educational qualification, caste (SC/ST/OBC) and physical disability status. The candidates shall be informed for their Personality Test, (likely to be held in the month of July, 2014) through e-mail followed by speed post. The details of Personality Test shall also be available on the Commission's website in due course.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NEW DELHI- 110069, dated 29th April, 2014/ Vaisakha 09, SAKA 1936

GOVERNMENT OF INDIA
PRESS INFORMATION BUREAU
PRESS NOTE

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES EXAMINATION, 2014

On the basis of the result of the written part of the Special Class Railway Apprentices Examination, 2014 held by the U.P.S.C. in January, 2014, the candidates with the under mentioned Roll Numbers have qualified for Interview/Personality Test.

2. The candidature of these candidates is **PROVISIONAL** subject to their being found eligible in all respects. The candidates would be required to produce the original certificates in support of their claims relating to age, educational qualifications, community, physical disability and other documents such as Attestation Forms and TA Forms, etc. at the time of the Personality Test. The formats of SC/ST/OBC & PH certificates, Attestation Forms and TA Form, etc. can be downloaded from the website of the Commission. They are, therefore, advised to keep the said certificates ready with them.

3. In accordance with the Rules of examination, all these candidates are required to fill up the Detailed Application Form (D.A.F.), which is available on the Commission's Website <http://www.upsc.gov.in> and submit the same ONLINE. The DAF will be available on the website of the Commission from **26.05.2014 to 10.06.2014 till 11.59 PM.** Important instructions regarding filling up of the DAF and submitting the same ONLINE to the Commission are also available on the website. The candidates who have been declared successful have to first get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the ONLINE Detailed Application Form. The qualified candidates are further advised to refer to the Rules of the Special Class Railway Apprentices Examination, 2014 published in the gazette of India, dated 05.10.2013, which are also available on the website of the Commission.

4. After submitting the DAF duly filled in ONLINE, the candidates are required to take out a printout of the finally submitted DAF separately and will have to send the printed copy of the DAF, duly signed by the candidates, along with all relevant documents, to the Under Secretary (SCRA), Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069, so as to reach the Commission's Office latest by **16.06.2014**. The envelope containing the printout of the DAF submitted ONLINE should be superscribed "DAF for Special Class Railway Apprentices Examination, 2014". It can also be delivered at UPSC by hand till **16.06.2014 (5.00 P.M.)**. In the event of non-receipt of ink signed copy of the DAF, the candidature will be cancelled without any further notice.

Contd..p/2

5. The candidates are also required to bring the printed copy of the DAF duly signed (by the candidate) along with original documents and a photocopy each thereof at the time of Interview. **The instructions for filling up DAF available on the Website along with the Rules of the Special Class Railway Apprentices' Examination, 2014, must be read carefully with regard to the certificates that are to be produced at the time of Interview. The candidate will be solely responsible for not producing sufficient valid proof in support of his/her age, date of birth, educational qualifications, caste (SC/ST/OBC) and Physically disability status.**

6. Interviews of candidates who have qualified for the Personality Test are likely to be held in the month of July, 2014. The exact date of interview will, however, be intimated to the candidates through Interview Letter followed by e-mail. Roll Number-wise Interview Schedule will also be made available on Commission's website in due course.

7. **No request for change in the date and time of Personality Test intimated to the candidates will be entertained under any circumstances.**

8. The mark-sheets of candidates who have not qualified, will be put on the Commission's website within 15 days from the date of publication of the final result (after conducting Personality Test) and will remain available on the website for a period of 60 days.

9. The candidates can access the marks-sheets after keying in their Roll Numbers and date of birth. The printed/hard copies of the marks-sheet would, however, be issued by UPSC to candidates based on specific request accompanied by a self-addressed stamped envelope. Candidates desirous of obtaining printed/hard copies of the marks sheets should make the request within thirty days of the display of the marks on the Commission's website, beyond which such requests would not be entertained.

10. The candidates are advised to notify changes in their address, if any, to the Commission immediately through letter or fax at Telephone numbers indicated below.

11. The result will also be available on the U.P.S.C.'s website <http://www.upsc.gov.in>.

12. Union Public Service Commission has a Facilitation Counter at its campus. Candidates may obtain any information/clarification regarding their examination/result on working days between 10.00 A.M. to 5.00 P.M in person or over telephone Nos.(011)-23385271/23381125/23098543 from this counter.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
NEW DELHI- 110069

MOBILE PHONES ARE BANNED IN THE CAMPUS OF UPSC EXAM. HALLS

Special Class Railway Apprentices' Examination, 2014

001954	002003	002224	002425	002957	003309	004217	004258	004477
004962	007415	007996	008518	009166	009253	010070	010473	010639
012807	012862	013296	016614	017044	018053	020126	021806	023657
024437	026354	026928	027623	028920	028947	029213	030329	030769
031151	031342	031808	033390	033911	035460	035643	036340	036726
037076	040244	041516	041600	042468	044009	045277	046627	046713
047832	047861	049316	049575	049980	052171	053346	054479	054692
055200	055452	056829	056830	057071	060150	061388	063141	063259
063743	065006	066121	066463	066948	067074	067417	069884	069924
070359	070464	070730	071309	071607	072210	072970	073175	075489
076969	078322	079179	079374	079979	081041	081332	082554	082949
083268	083842	084124	085165	088078	090190	093504	094975	097323
098977	102667	102705	104177	105410	105888	106024	106411	107605
107880	109531	110470	112953	114385	115566	118049	120959	121871
125961	127923	129016	129851	129951	131579	131796	131928	133306
133608	135055	135961	137248	140458	144192	145439	150549	152355
155927	157139	157347	159568	160104	160298	164925	165966	166142
166399	166594	167190	169240	169923	170013	172640	174541	177086
177945	179727	179768	184114	185326	185454	187060	188573	188605
189121	189127	191715	192639	194028	194826	195748	195938	196902
200193	200384	203964	207535	208486	210554	211213	214087	216615
217101	217333	219283	223980	225547	227315	228158	230170	232382
234584	234634	237616	237967	240179	242037	244027	244130	244616
245441	246646	247010	247110	252408	253079	255311	257098	257907
258938	259723	262868	263588	267528	269181	272763	273746	276839

CONCLUDED

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NEW DELHI - 110 069

29th April, 2014 / Vaisakha 9, Saka 1936.

भारत सरकार
प्रेस सूचना ब्यूरो
प्रेस नोट

संघ लोक सेवा आयोग
स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2014

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 2014 में आयोजित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2014 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके हर प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यक्षीन अंतिम है। उम्मीदवारों को अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय, शारीरिक अक्षमता तथा अन्य दस्तावेज जैसे साक्ष्यांकन प्रपत्र और यात्रा भत्ता प्रपत्र, आदि के अपने दावे के समर्थन में व्यक्तित्व परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं शा.वि. से संबद्ध प्रमाण-पत्र, साक्ष्यांकन प्रपत्र और यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि के प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अतः, उन्हें अपने प्रमाण पत्र तैयार रखने की सलाह दी जाती है।

3. परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट "<http://www.upsc.gov.in>" पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भर लें और उसे ऑनलाइन जमा करा दें। विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 26.05.2014 11.59 बजे तक उपलब्ध रहेगा। डीएएफ को भरने और उसे आयोग में ऑनलाइन जमा करने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पहले वेबसाइट के संगत पृष्ठ पर अपने को रजिस्टर करना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को दिनांक 05.10.2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2014 की नियमावली का अवलोकन करने का परामर्श दिया जाता है, जो कि आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

4. विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) विधिवत भरकर ऑनलाइन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अंतिम रूप से प्रस्तुत डीएएफ का अलग से एक प्रिंटआउट ले लें और उस मुद्रित प्रति पर विधिवत हस्ताक्षर करके सभी संगत दस्तावेजों सहित अवर सचिव, (एससीआरए), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 को भेज दें जिससे कि वह आयोग कार्यालय में दिनांक 16.06.2014 तक अवश्य पहुंच जाए। ऑनलाइन जमा किए गए विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) के प्रिंट आउट वाले लिफाफे पर "स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2014" हेतु आवेदन प्रपत्र लिखा होना चाहिए। इसे संघ लोक सेवा आयोग में दस्ती रूप से भी दिनांक 16.06.2014 (सायं 5.00 बजे तक) तक जमा कराया जा सकता है। विस्तृत आवेदन प्रपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आगे कोई नोटिस दिए बिना उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

5. उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज और प्रत्येक की फोटोप्रति के साथ साथ विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) की विधिवत हस्ताक्षरित (उम्मीदवार द्वारा) मुद्रित प्रति साथ लाएं। उम्मीदवार, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के

संदर्भ में स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2014 की नियमावली के साथ साथ वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ)भरने से संबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार अपनी आयु, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) तथा शारीरिक विकलांगता की स्थिति के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

6. व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार जुलाई, 2014 में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। तथापि, साक्षात्कार की सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र के माध्यम से और उसके बाद ई मेल द्वारा दी जाएगी। अनुक्रमांक वार साक्षात्कार का कार्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दिया जाएगा।

7. उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु सूचित की गई तारीख और समय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

8. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की है उनके अंक पत्र, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के 15 दिन के अंदर (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और ये अंक पत्र वेबसाइट पर 60 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।

9. उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक और जन्म की तारीख अंकित करने के बाद अंक-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अंक-पत्र की मुद्रित प्रतियां, उम्मीदवारों से डाक टिकट लगे स्व-पता लिखे लिफाफे सहित उनके द्वारा विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर ही भेजी जाएंगी। अंक-पत्रों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसा अनुरोध आयोग की वेबसाइट पर अंक-पत्रों के प्रदर्शित किए जाने के तीस दिन के अंदर करना चाहिए; इसके बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना पत्र या फैक्स द्वारा नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर तत्काल दें।

11. परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in> पर भी उपलब्ध रहेगा।

11. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं० (011) 23385271/23381125/23098543 पर कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा हॉलों के परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है।

**BROAD CHECK LIST FOR THE CANDIDATES FOR APPEARANCE IN PERSONALITY
TEST BOARDS OF
SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES' EXAMINATION, 2014.**

Please ensure that you bring all the relevant documents in original along with photocopies thereof on the date of Personality Test. The candidates are advised to carefully verify their documents before hand and ensure that the following conditions have been satisfied:-

(I) Name & Date of Birth: For name and date of birth, Matriculation or equivalent certificate (or if certificate is not available, at least the mark-sheet issued under the signature of concerned officer of the educational board, should be there). The name and Date of Birth as recorded in the matriculation or equivalent certificate will be treated as final by the Commission.

(II) Educational Qualification: The candidate must show the following certificate/degree, in **original**, in support of his/her educational qualification at the time of PT Board:

First or second division the Intermediate **or** Higher Secondary (12 years) examination under 10+2 pattern of school education with Mathematics and at least one of the subjects Physics & Chemistry as subject of the examination **or** first or second division the Pre-Engineering Examination of a University, approved by the Government of India; **or** first or second division the Pre-Degree Examination of the Universities of Kerala and Calicut with Mathematics and at least one of the subjects Physics & Chemistry as subject of the examination **or** Graduation with Mathematics and at least one of the subjects Physics & Chemistry as degree subjects **or** first year examination of the Five-year Engineering Degree Course in the first or second division provided the first year examination is conducted by a University.

In case original certificate is not issued by the Board/University or is otherwise not available; he/she is required to produce provisional certificates and/or Mark-sheets in support of his claim at the time of PT Board.

(III) In case there is discrepancy between the name as recorded in the Matriculation certificate and as entered in Intermediate or 10+2 certificate and/or other certificates, the following steps must be taken:

- (a) In case of minor discrepancy in the name of the candidate (or his/her father) due to a spelling error [(i.e. Mohan and Mohun) or (R. Mathur and Ramesh Mathur)], an affidavit may be produced at the time of PT Board to the effect that both the names belong to the same person.
- (b) In case of a major discrepancy related to the addition or deletion of part/parts of any name [(i.e. Ram Kumar and Ram Kumar Singh) or (Ajay Kumar and Ajay Kumar Singh Rana)], a Gazette notification may be produced at the time of PT Board to the effect that the person has changed his name henceforth.
- (c) In case of certificates issued by the State of Maharashtra, the name of the candidate is sometimes inclusive of the name of the father and/or the name of the mother. In such cases, an affidavit may be produced at the time of PT

Board to the effect that the names on both certificates belong to the same person.

(IV) Caste/Tribe Certificate: The candidate claiming to be SC/ST/OBC must ensure the following conditions:

- (a) The name of the candidate and his/her father in the certificates should be strictly as recorded in the matriculation or equivalent certificate.
- (b) The name of the caste/tribe is included in the central list in respect of the State to which the candidate or his/her father originally belongs.
- (c) The name of the caste/tribe and sub caste/tribe (if it is mentioned in the central list) should be strictly according to the Central List as is available on the website i.e. www.socialjustice.nic.in in respect of SCs, on www.censusofindia.gov.in in respect of STs and www.ncbc.nic.in in respect of OBCs.
- (d) The residential clause in ST/ST/OBC certificate should be duly filled up.
- (e) In case, SC/ST/OBC certificate is issued to a candidate residing in a State on the basis of the relevant certificate issued to his/her parent in another State, relevant migration clause should have been duly filled up.
- (f) The certificate should have been signed by a competent authority not below the rank of Tehsildar with legible stamp of his/her designation either in Hindi or in English
- (g) The certificate must contain a seal of office of the concerned issuing authority/office. In case of a seal in regional language, another seal either in English or in Hindi may also be got affixed.
- (h) **In case of an OBC certificate issued prior to 1st April, 2010, a fresh certificate incorporating therein the relevant provisions of DoPT O.M. dated 27.05.2013 pertaining to Creamy Layer must be prepared inter-alia satisfying the above mentioned conditions at (a) to (f) and produced at the time of PT Board..**

(V) PH Certificate: In case of PH certificates, the following should be ensured:

- (a) The certificate should be strictly in the prescribed proforma as is available on the website of the Commission with the instructions for filling up DAF.
- (b) The name of the candidate (and his/her father) should be as recorded in the matriculation certificate.
- (c) All entries must be duly filled in and the extent of disability (40% or more) is clearly indicated.
- (d) The certificate should be duly signed by all Members and Chairman of the Medical Board along with their seals showing their names and designations.
- (e) The certificate be also duly countersigned by the Medical Superintendent/CMO/Head of the Hospital along with his seal. Even if the Chairman of the Medical Board is himself/herself is the Medical Superintendent/CMO/Head of the Hospital, he/she is again required to countersign the certificate along with his/her seal as MS/CMO/HoH.
- (f) The photograph affixed on the certificate showing the disability should be duly attested by the Chairman of the Medical Board.

(VI) Other Certificates: The certificates in support of age relaxation (other than SC, ST or OBC category or the PH candidates) in original are also required to be shown.

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2014 के व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों हेतु

व्यापक जांच सूची

कृपया सुनिश्चित करें कि व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर सभी संगत मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकापी साथ लाएं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों की पहले ही जांच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर लिया गया है :-

(I) नाम तथा जन्म की तिथि : नाम तथा जन्म की तारीख के लिए, मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र (अथवा यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, तो कम से कम शिक्षा बोर्ड के संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी अंक पत्र होना चाहिए)। मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए नाम तथा जन्म तिथि को आयोग द्वारा अंतिम माना जाएगा ।

(II) शैक्षिक योग्यता : व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्र/डिग्री की मूल प्रति प्रस्तुत करेगा:

गणित विषय और भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ स्कूली शिक्षा के 10+2 पैटर्न के तहत इंटरमीडिएट अथवा हायर सेकेंडरी (12 वर्ष) परीक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय डिवीजन अथवा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय डिवीजन या केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की पूर्व डिग्री परीक्षा में गणित विषय और भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या गणित विषय और भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों में से कम से कम एक विषय को स्नातक स्तर के विषयों के साथ स्नातक या पंचवर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रथम अथवा द्वितीय डिवीजन बशर्ते कि प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई हो।

यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है अथवा वह अन्यथा उपलब्ध नहीं है तो उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय अपने दावे के समर्थन में अनंतिम प्रमाण पत्र तथा/अथवा अंक पत्रक प्रस्तुत करेगा।

(III) मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट अथवा 10+2 प्रमाण पत्र तथा/अथवा अन्य प्रमाण पत्रों में दर्ज किए गए नाम में विसंगति की स्थिति में, निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए :

(क) वर्तनी की त्रुटि के कारण उम्मीदवार (अथवा उसके पिता) के नाम में मामूली विसंगति के मामले में, [(अर्थात् मोहन तथा मोहुन) या (आर. माथुर तथा रमेश माथुर)] के मामले में, व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा कि दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(ख) नाम के भाग/भागों में कतिपय शब्द जोड़े जाने/हटाए जाने से संबंधित बड़ी विसंगति [(अर्थात् राम कुमार तथा राम कुमार सिंह) या (अजय कुमार तथा अजय कुमार सिंह राणा)] के मामले में, व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय इस आशय की गजट अधिसूचना प्रस्तुत की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति ने अब से नाम परिवर्तित कर लिया है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के मामले में, कभी कभी उम्मीदवार के नाम में उसके पिता तथा/अथवा माता का नाम भी शामिल होता है। ऐसे मामलों में व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा कि दोनों प्रमाण पत्रों पर अंकित नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(IV) जाति/जनजाति प्रमाण पत्र : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का दावा करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो रही हैं:

(क) प्रमाण-पत्रों में अंकित उम्मीदवार तथा उसके पिता का नाम अनिवार्यतः वही होना चाहिए जो मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है।

(ख) जाति/जनजाति का नाम उस राज्य की केन्द्रीय सूची में शामिल होना चाहिए जिसके उम्मीदवार अथवा उसके पिता

मूल निवासी हों।

- (ग) जाति/जनजाति तथा/अथवा उप जाति/जनजाति का नाम अनिवार्यतः वही होना चाहिए जिसका उल्लेख वेबसाइट पर उपलब्ध केन्द्रीय सूची में किया गया है, अर्थात् अ.जा. के संदर्भ में www.socialjustice.nic.in, अ.ज.जा. के संदर्भ में www.censusofindia.gov.in तथा अ.पि.व. के मामले में www.ncbc.nic.in।
- (घ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण-पत्र में निवास का खंड विधिवत भरा होना चाहिए।
- (ङ.) यदि किसी उम्मीदवार को उसके माता-पिता के किसी अन्य राज्य में निवास करने के संबंध में जारी संगत प्रमाण पत्र के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो संबंधित प्रवजन खंड (माइग्रेशन क्लॉज) विधिवत भरा होना चाहिए।
- (च) इस प्रमाण-पत्र पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसका दर्जा तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए और हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उसके पदनाम की स्पष्ट मुहर लगी होनी चाहिए।
- (छ) इस प्रमाण-पत्र पर जारी करने वाले प्राधिकारी/कार्यालय की सील होनी चाहिए। यदि सील क्षेत्रीय भाषा में है तब अंग्रेजी अथवा हिन्दी में एक अन्य सील लगी होनी चाहिए।
- (ज) 1 अप्रैल, 2010 से पहले जारी अ.पि.व. प्रमाण-पत्र के मामले में, एक नया प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए जिसमें उपर्युक्त (क) से (च) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के साथ साथ क्रीमी लेयर के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.05.2013 के का.जा. के संगत प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए और उसे व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(IV) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र : शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्रों के मामले में, निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जानी चाहिए :

- (क) यह प्रमाण पत्र अनिवार्यतः उसी निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए जो आयोग की वेबसाइट पर डीएएफ भरने के अनुदेशों के साथ उपलब्ध है।
- (ख) उम्मीदवार (और उसके पिता) का नाम वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है।
- (ग) सभी प्रविष्टियां विधिवत भरी होनी चाहिए और विकलांगता के स्तर (40% अथवा अधिक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया होना चाहिए।
- (घ) इस प्रमाण-पत्र पर चिकित्सा बोर्ड के सभी सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए और साथ ही उनकी मुहर होनी चाहिए जिस पर उनका नाम और पदनाम अंकित होना चाहिए।
- (ङ.) यह प्रमाण-पत्र अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पर उसकी मुहर भी होनी चाहिए। यदि चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं ही चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल का अध्यक्ष है, तो भी उन्हें चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल के अध्यक्ष के तौर पर अपनी सील के साथ इस प्रमाण-पत्र पर दुबारा प्रतिहस्ताक्षर करना होगा।
- (च) इस प्रमाण पत्र पर लगाई गई विकलांगता को दर्शाती फोटो चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए।

(VI) अन्य प्रमाण पत्र : आयु में रियायत के दावों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अथवा शा.वि. उम्मीदवारों को छोड़कर) के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्रों को भी प्रस्तुत करना होगा।